हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जुलाई, 2004

[1]पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953
(1953 का पंजाब अधिनियम संख्या 47)

[दि पंजाब लाइव-स्टॉक इम्प्रूवमॅन्ट ऐक्ट, 1953, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 13 जुलाई, 2004, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित अथवा अन्यथा प्रभावित
1953	47	पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953	ऐसे राज्यक्षेत्रों में विस्तार किया गया जो प्रथम् नवम्बर, 1956, से तुरन्त पूर्व, 1959 के पंजाब अधिनियम 5 द्वारा पटियाला राज्य तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल किए गए [2] । विधि अनुकूलन आदेश, 1968 द्वारा संशोधित[3] ।

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), 1953, पृष्ठ 548; तथा विधान सभा और परिषद् में कार्यवाहियों के लिए, देखिए पंजाब विधान सभा तथा परिषद् याद-विवाद 1953 ।

2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), 1958, पृष्ठ 1487 ।

3. देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 अक्तूबर, 1968, पृष्ठ 531-567 ।

[1][हरियाणा] राज्य में पशुधन का सुधार करने के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम पशुधन सुधार अधिनियम, 1953, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण [1][हरियाणा] राज्य पर होगा।

(3) यह [2][मूल राज्य क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में] ऐसी तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और [2][उसके] भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं, [2][तथा अन्तरित राज्यक्षेत्रों में 27 जनवरी, 1959, को प्रवृत्त होगा।]

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अनुमोदित सांड' से अभिप्राय है, ऐसा सांड जो स्थानीय प्रजनन के लिए इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन इस रूप में उचित प्रमाणित किया गया हो ;

(ख) 'सांड' से अभिप्राय है, कोई अनपुंसक पुलिंग बछड़ा जो ऐसी आयु से ऊपर का हो जिसे राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विहित करे ;

(ग) 'गाय' में बछड़ी शामिल है ;

(घ) 'निदेशक' से अभिप्राय है, निदेशक, पशु-चिकित्सा सेवाएं, [1][हरियाणा] ;

(ङ) 'पशु-धन अधिकारी' से अभिप्राय है, निदेशक तथा इसमें शामिल है इस अधिनियम के अधीन किसी पशुधन अधिकारी की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;

(च) 'विहित से अभिप्राय' है, इस अधिनियम के अधीन विहित ;

(छ) किसी व्यक्ति को 'कोई सांड रखे हुए' कहा जा सकता है यदि उसका सांड है या तत्समय, सांड उसके कब्जे में या उसकी अभिरक्षा में है;

(ज) किसी सांड को 'नपुंसक' कहा जा सकता है यदि वह अपनी जाति का प्रजनन करने में अक्षम है ;

(झ) 'स्थानीय क्षेत्र' से अभिप्राय है, किसी क्षेत्र या सम्पूर्ण या कोई भाग जिसे यह अधिनियम लागू होता है, तथा जिसमें कोई अनुमोदित सांड, निदेशक की राय में, प्रजनन के प्रयोजनों के लिए योग्य है।

अधिहित सांड को रखने का प्रतिषेध।

3. किसी क्षेत्र में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार के सिवाए, कोई सांड नहीं रखेगा।

अधिहित सांड के बारे में सूचना।

4. प्रत्येक व्यक्ति, जो, किसी स्थानीय क्षेत्र में, कोई सांड रखता है जो इस अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित किसी सुभिन्न चिह्न से दाहांकित न किया गया हो, ऐसे कब्जे की, पशुधन अधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, सूचना देगा।

1. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित ।
2. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, प्रतिस्थापित ।

जांच के लिए सांड को प्रस्तुत करना।

5. धारा 4 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, या स्वप्रेरणा से, पशुधन अधिकारी, आदेश द्वारा, सांड रखने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी युक्तियुक्त समय पर तथा आदेश में विनिर्दिष्ट स्थान पर सांड को उपस्थित करने की अपेक्षा कर सकता है और तदुपरि यह सांड रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह उसे तद्नुसार जांच के लिए प्रस्तुत करे तथा ऐसी जांच के सम्बन्ध में सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करे।

यथा अनुमोदित सांडों का प्रमाणीकरण ।

6. किसी सांड की ऐसी जांच के बाद, पशुधन अधिकारी, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि सांड स्थानीय क्षेत्र में प्रजनन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है, तो सांड को 'प्रमाणित' रूप में प्रमाणित करेगा, और प्रयोजन के लिए विहित चिह्न से उसे दाहांकित करवाएगा।

नपुंसक सांडों को चिह्नित करना।

7. (1) यदि, जांच के पश्चात्, पशुधन अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई सांड स्थानीय क्षेत्र में प्रजनन के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त है तो, वह उसे प्रभावशाली रूप में नपुंसक करवाएगा या आदेश द्वारा अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसके दौरान ऐसा नपुंसकीकरण प्रभावित किया जाएगा।

(2) ऐसा नपुंसकीकरण पशुधन अधिकारी द्वारा किया जाएगा या करवाया जाएगा जब तक कि स्वामी या सांड को रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति आदेश का अनुपालन करने के लिये अपनी व्यवस्थायें करने की इच्छा प्रकट नहीं करता और यदि पशुधन अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर सांड को नपुंसक नहीं किया जाता, तब कि कार्रवाई पर, जो धारा 14 के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पशुधन अधिकारी सांड को नपुंसक करवायेगा।

(3) पशुधन अधिकारी, प्रत्येक सांड को, विहित चिह्न से दाहांकित करवाने के लिये इस प्रकार नपुंसीकृत करवायेगा।

स्वामियों के बिना सांडों का नपुंसकीकरण।

8. (1) यदि, ऐसी जांच के पश्चात् जिसे पशुधन अधिकारी करना उचित समझे, उसे पता चलता है कि कोई अनपुंसीकृत सांड किसी जानकार व्यक्ति का नहीं है या के कब्जे में है, तो वह सांड को अभिगृहीत करवायेगा और उसकी जांच करवायेगा।

(2) यदि, ऐसी जांच पर, उसे पता चलता है कि सांड 'अनुमोदित' रूप में प्रमाणित किये जाने के योग्य नहीं है तो, वह उसका नपुंसकीकरण करवायेगा तथा अनुमोदित चिह्न से दाहांकित करवायेगा और यदि वह ऐसे सांड को प्रजनन के प्रयोजनों के लिये उपयुक्त पाता है तो, वह उसे एक अनुमोदित के रूप में चिह्नित करेगा।

सांडों की जांच करने या चिह्नित करने तथा परिसरों में प्रवेश करने के लिए सक्षम अधिकारी ।

9. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, कोई पशुधन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सभी युक्तियुक्त समयों पर निम्नलिखित करने के लिये प्राधिकृत होगा :—

(क) किसी सांड की जांच करने के लिये ;

(ख) किसी विहित चिह्न वाले किसी सांड को दाहांकित करने के लिये ;

(ग) ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुये, यदि कोई हों, जो विहित किये जायें, किन्हीं परिसरों या अन्य स्थानों में प्रवेश करने के लिये जहां उसके पास विश्वास करने का कारण है कि सांड को रखा गया है।

(2) यदि, पशुधन अधिकारी को, किसी अनुमोदित सांड की जांच करने से पता चलता है कि सांड एक अनुमोदित सांड के रूप में अनुपयुक्त हो गया है, तो, वह धारा 7 के अनुसार, ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो एक अनअनुमोदित सांड के लिये की जाती।

चिह्नांकन का प्रभार-मुक्त करना।

10. किसी पशुधन अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किये जाने के लिये अपेक्षित प्रत्येक नपुंसकीकरण या चिह्नांकन, प्रभार-मुक्त किया जायेगा।

नोटिस तथा आदेश की तामील।

11. कोई भी नोटिस या आदेश जो इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिया जाना है, या तामील किया जाना है, ऐसे नोटिस या आदेश का पालन करने के लिये प्राथमिक रूप से दायी सांड के स्वामी या रखवाले को दिया जायेगा या तामील किया जायेगा और किसी शक की दशा में अथवा जब वह अज्ञात हो तो, यह उसके स्वामी या रखवाले के रूप में अन्तिम ज्ञात व्यक्ति को दिया जायेगा या तामील किया जायेगा, तथा धारा 8 के अधीन कोई अभिग्रहण या जांच, पूर्वोक्त नोटिस के अनुपालन के पश्चात् किया गया समझा जायेगा/की गई समझी जायेगी।

रजिस्टरों का रखा जाना।

12. पशुधन अधिकारी, जांच, सांडों के स्वामियों या रखवालों के नामों, किये गये नपुंसकीकरण या चिह्नांकन, तथा इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित सांडों की विशिष्टियां, तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जायें, देते हुये, विहित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा।

अप्राधिकृत चिह्नांकों के लिए शास्ति।

13. यदि कोई व्यक्ति, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, इस अधिनियम के अधीन विहित किसी चिह्न से, ऐसे विहित चिंह्न से मिलते-जुलते किसी चिह्न से किसी सांड को दाहांकित करता है या दाहांकित करवाता है तो, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अन्य अपराधों के लिए शास्ति।

14. जो कोई भी —

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या किये गये आदेश के उल्लंघन में कोई सांड रखता है ; या

(ख) जांच के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अवहेलना करता है या असफल रहता है जब इस अधिनियम के अधीन ऐसा करने के लिये अपेक्षित हो, अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कृत्यों के निर्वहन में किसी अधिकारी या व्यक्ति को बाधा डालता है ; या

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी आदेश का पालन करने में अवहेलना करता है या असफल रहता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो पचास रुपये तक हो सकता है तथा द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान।

15. किसी पशुधन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के सिवाए, कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

कार्यवाहियों का वर्जन।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन या अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये, किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन या अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात द्वारा हुई या होने के लिये सम्भावित किसी क्षति के लिये, राज्य सरकार के विरुद्ध या उसके किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबन्ध किया जा सकता है—

(क) इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने के लिये अपेक्षित सभी विषय ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा पालन किये जाने वाले कर्तव्य तथा इस प्रकार कार्य करने के लिये उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; तथा

(ग) किसी स्थानीय क्षेत्र में, प्रजनन के प्रयोजनों के लिये किसी सांड की अनुमोदित आयु।

(3) सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

आर० एस० मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।

37956—L.R.—H.G.P., Chd.